तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1398/2003/नागौर पीरू खां बनाम पतासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 07.09.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 225 व 216/2 बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–1999 से आंशिक स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 225 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 की जगह वादी को घोषित किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने हेतु प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–10–2001 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–02–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1398/2003/नागौर पीरू खां बनाम पतासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-10-2001 को निरस्त कर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-03-1999 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादी प्रार्थी की ओर से यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के सम्मन की अप्रार्थी संख्या-1 पर विधिवत तामिल दिनांक 4-9-1997 को उसके व्यस्क पुत्र भंवरू खां पर हुई थी, जिसने अप्रार्थी संख्या-1 एवं स्वयं के सम्मन प्राप्त कर उसकी पुश्त पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। उनका कथन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 15 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत परिवार के किसी व्यस्क सदस्य द्वारा की गयी तामील को कानूनी दृष्टि से पूर्ण तामील माना जावेगा। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या-1 ने अप्रार्थी संख्या-2 को विधिवत् रूप से जरिये रजिस्टर्ड गोदपत्र दिनांक 18-1-1989 से गोद लिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को खारिज किया किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1398/2003/नागौर पीरू खां बनाम पतासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जावे। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 225 व 216/2 बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-03-1999 से आंशिक स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 225 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या-1 की जगह वादी प्रार्थी को घोषित किया। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जहां पक्षकारों के अधिकारों का प्रश्न निहित हो, उन प्रकरणों को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में वादी प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें निहित विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या-1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से अप्रार्थी के विवादित आराजी में निहित खातेदारी हक व अधिकार प्रभावित होते है, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर मिलना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1398/2003/नागौर पीरू खां बनाम पतासी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	